पत्रांक- 1792/ज0 क0 नि0 — दिनांक 13/02/014

कार्यालय जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय आदेश

मा0 महापौर महोदय के आदेशानुसार एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत सरचार्ज की छूट निम्नानुसार अनुमन्य की गई है ।

1— एक मुश्त समाधान योजना दिनांक 28.02.2014 तक लागू की जाये जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा भवन पर सम्पूर्ण बकाया धनराशि एक साथ जमा करने पर सरचार्ज की सम्पूर्ण धनराशि में छूट प्रदान की जाये।

2— यदि कोई उपभोक्ता सम्पूर्ण धनराशि एक साथ जमा करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो माह फरवरी में आधी धनराशि जमा कराकर आधा सरचार्ज की छूट का लाभ दिया जाय तथा उन्ही उपभोक्ताओं के द्वारा शेष आधी धनराशि दिनांक 31.03.2014 के पूर्व जमा करने पर अवशेष सरचार्ज की छूट का लाभ भी उन्हें प्रदान कर दिया जाये।

3— यदि कोई उपभोक्ता माह फरवरी 2014 में अपनी बकाया धनराशि जमा नहीं करता है तथा अपने भवन पर सम्पूर्ण देय धनराशि 01.03.2014 से 31.03.2014 के बीच जमा करता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज की देय धनराशि की आधी सरचार्ज की छूट का लाभ ही अनुमन्य किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार सरचार्ज की छूट का लाभ प्रदान करते हुए वसूली हेतु ऐसे उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करते हुए, ऐसे उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अधिकाधिक वसूली करायी जाय।

ह0/- महाप्रबन्धक 13/2/14

पत्रांक- 1792/ज0 क0 नि0 — दिनांक 13/02/014

प्रतिलिपि—
1. मा0 महापौर महोदय को उनके अनुमोदन दिनांक 13.02.2014 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता जलकल विभाग वाराणसी।
4. वित्त अधिकारी जलकल विभाग, वाराणसी।
5. समस्त लेखाकार जलकल विभाग वाराणसी।
6. समस्त वसूली कर्मचारी एवं वसूली कार्य से सम्बद्ध लिपिक वर्गीय कर्मचारी।

ह0/- महाप्रबन्धक 13/2/14